



विद्युत मंत्रालय

विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी, ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए समिति का गठन किया

Posted On: 06 NOV 2017 6:49PM by PIB Delhi

विद्युत अधिनियम की धारा 161 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आज 01 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के फिरोज़ गांधी थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड में ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट (यूनिट वीआई: 500 मेगावाट) में हुई दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आदेश जारी किया।

जांच समिति का कार्य दुर्घटना के कारणों की जांच करना और जिम्मेदारी, यदि कोई है तो तय करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना है। समिति इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

कमेटी का गठन निम्नलिखित के अनुसार होगा:-

क्र.सं.	नाम	Position
1	श्री पी.डी. सिवाल, सदस्य (थर्मल), सीईए	अध्यक्ष
2	श्री सुबीर चक्रवर्ती, निदेशक (परियोजनाएं), यूपीआरवीयूएनएल	सदस्य
3	श्री धवल प्रकाश अंतापुरकर, स्टीम बॉयलर, महाराष्ट्र के निदेशक	सदस्य
4	डॉ. एल.डी. पपने, मुख्य अभियंता, (टीई एंड टीडी), सीईए	सदस्य और संयोजक

समिति, यदि आवश्यक हुआ तो विशेषज्ञों की सहायता ले सकती है या अन्य सदस्यों को शामिल कर सकती है।

वीके/पीसी/एनआर-5350

(Release ID: 1508559) Visitor Counter : 8

